अ0शा0 परिपत्र संख्या-डीजी-38/2020

एच.सी. अवस्थी,
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश।
पुलिस मुख्यालय,
शहीद पथ, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ-226002

दिनांकःलखनऊः अक्टूबर 26, 2020

प्रिय महोदय,

प्रायः विभिन्न इलेक्ट्रानिक एवं प्रिन्ट मीडिया में पुलिस विभाग से सम्बन्धित समाचार एवं फोटो आदि प्रकाशित हो रहें है जिसमें पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा ड्यूटी के समय समुचित वर्दी धारण नहीं की जा रही है जिससे उत्तर प्रदेश पुलिस वर्दी विनियम का उल्लंघन हो रहा है। राजपत्रित पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए वर्दी का स्केल / पैटर्न निश्चित है, जिसका पूरी तरह से पालन आवश्यक है।

2- पुलिस अधिकारी/कर्मचारी की वर्दी, टर्न-आउट तथा चुस्त-दुरूस्त दिखने के उद्देश्य से निम्नवत् आदेश निर्गत किये जा रहें है -

1. CIR.DO No.DG-II-255-85 दि0 10.10.1985
2. CIR.DONo.DG-II-255-85 दि0 05.08.1987
3. परिपत्र सं0-32/1989 दिनांक 27.04.1989
4. डीजी/परिपत्र-32/2014 दिनांक 28.05.2014
5. परिपत्र डीजी-64/2014 दिनांक 06.10.2014
6. डीजी/परिपत्र-07/2017 दिनांक 26.03.2017
7. डीजी/परिपत्र-37/2018 दिनांक 09.07.2018

(क) पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण द्वारा निर्धारित स्वच्छ वर्दी एवं हेड गियर धारण किया जायेगा।

(ख) वर्दी के पैटर्न शू के अतिरिक्त कोई अन्य जूता/चप्पल/सैण्डिल आदि धारण नहीं किये जायेंगे।

(ग) पुलिस अधिकारी/कर्माचरीगण अपने कार्यालय एवं कर्तव्यस्थल परनिर्धारित वर्दी ही धारण करेंगे।

(घ) गलत वर्दी, टोपी, नेम प्लेट, कमीज के बटन खुला रखने तथा निर्धारित जूता, मोजा न पहनने की कुप्रथा को पूर्ण समाप्त किया जाना चाहिए।

3- उक्त के अतिरिक्त पुलिस विभाग के कतिपय अधिकारी/कर्मचारी, जो पुलिस विभाग में सेवा में आने से पहले दाढ़ी नहीं रख रहे थे, अब अपने धार्मिक दायित्वों का निर्वहन करने के लिए दाढ़ी रखने की इच्छा प्रकट कर रहें हैं। इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है किः-

(ङ) सिख धर्म के पुलिस कर्मियों को छोड़कर अन्य सभी पुलिस बल के कर्मियों के लिए दाढ़ी क्लीन शेव किया जाना अनिवार्य है। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है तो भी दाढ़ी के बाल छोटे और सही तरीके से कटिंग होनी चाहिए। मूछे अपनी व्यक्तिगत इच्छा के अनुसार धारण कर सकते हैं लेकिन वह भी trimmed और रख-रखाव अच्छा होना चाहिए।

(च) धार्मिक आधार पर अस्थायी अवधि के लिए दाढ़ी रखने और लंबे बाल उगाने की अनुमति कार्यालय के प्रमुख द्वारा दी जा सकती है, उदाहरण के लिए, पुलिस अधीक्षक, सेनानायक, पी0ए0सी0 वाहिनी या अन्य कार्यालयों के प्रभारी अधिकारी। ऐसी अवधि की समाप्ति पर, संबंधित पुलिस अधिकारी/कर्मचारी सामान्य नियमों पर वापस आ जाएगा।

(छ) राजपत्रित अधिकारियो के लिए केवल पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमति दी जायेगी।

Scanned by CamScanner

(ज) उपरोक्त सभी अनुमति एक निश्चित समय के लिए दी जायेगी, जिसकी अनुमति देते समय आदेश में स्पष्टरूप से उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा। कार्यकाल समाप्त होने के उपरान्त सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा साधारण रेगुलेशन का पालन करना अनिवार्य होगा।

(झ) लम्बे बाल बढ़ाने के लिए, whiskers एवं कलम(sideburns) के लिए कोई अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

4- अधिकारियों के स्तर पर गलत/अपूर्ण वर्दी धारण करने वालों की नियमित टोका-टाकी अवश्य की जाये जिससे की यह संदेश हो कि कर्मियों का टर्न आउट सदैव अधिकारियों की निगाह में रहता है।

अतः उक्त के दृष्टिगत कृपया अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपाल सुनिश्चित कराये, तथा भविष्य में यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अनुपालन सुनिश्चित नहीं करता है तो उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अवश्य की जाय।

भवदीय,

(एच.सी. अवस्थी)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
पुलिस विभाग, उ0प्र0।

Scanned by CamScanner